5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2/10

# केवल नकल की फीस के लिए

| आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख | नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख | नकल वापिस दिये जाने की तारीख | नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 20/2/18 | 20/2/18 | 20/2/18 | [signature] |

नकल आदेश दिनांक 14/10/2015 उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर मु० नं० 08 अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० आधि० मौजा मुडवल परगना व तह० व जिला गाजीपुर। माँ कलावती एजुकेशनल रिलीफ एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट मु० गौराबाजार पीरनगर जि० गाजीपुर बनाम सरकार। ता० फैसला 14/10/2015

नोट - आदेश दिनांक 14/10/2015 की छाया/सत्य प्रति साथ संलग्न है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर, गाजीपुर

## न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, गाजीपुर

मुकदमा नम्बर– 08 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा– मुडवल परगना व जिला गाजीपुर

माँ कलावती एजूकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

बनाम

सरकार

उ0प्र0ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत यह प्रार्थना–पत्र गंगा प्रसाद सिंह मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष माँ कलावती एजूकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट मुहल्ला गोराबाजार, पो0 पीरनगर जिला गाजीपुर की तरफ से इस अभिकथन का प्रस्तुत किया गया है कि मौजा मुडवल परगना व तह0 व जिला गाजीपुर की भूखण्ड संख्या–301/0.0590हे0, 305/0.0370हे0, 306/0.0240हे0, 307/0.0240हे0, 308/0.0390हे0, 309/0.1860हे0, 310/0.0140हे0, 311/0.0850हे0, 296/0.0170हे0, 300/0.0330हे0, 302/0.0310हे0, 313/0.0630हे0, 314/0.0010हे0, 315/0.0180हे0, 312/0.0310हे0, 315/0.0160हे0, 317/0.076हे0, 315/.0630हे0, 129/1/0.0630हे0, 1283/0.253हे0, 771/0.085हे0, कुल गाटे 21 रकबा 1.218 हे0 पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि उपरोक्त संस्था द्वारा उपरोक्त आराजियात पर शैक्षणिक कालेज खोलने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। उक्त भूमिखण्ड का वर्तमान में कृषि उपयोग समाप्त हो गया है इसलिए उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त उल्लिखित आराजियात को अकृषिक घोषित किये जाने की मांग की गयी है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार गाजीपुर से करायी गयी, स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के पश्चात् निर्धारित रूप–पत्र पर आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें कहा गया है कि मौजा मुडवल परगना व तह0 व जिला गाजीपुर के आराजी नं0–301/0.0590हे0, 305/0.0370हे0, 306/0.0240हे0, 307/0.0240हे0, 308/0.0390हे0, 309/0.1860हे0, 310/0.0140हे0, 311/0.0850हे0, 296/0.0170हे0, 300/0.0330हे0, 302/0.0310हे0, 313/0.0630हे0, 314/0.0010हे0, 315/0.0180हे0, 312/0.0310हे0, 315/0.0160हे0, 317/0.076हे0, 315/.0630हे0, 129/1/0.0630हे0, 1283/0.253हे0, 771/0.085हे0, कुल गाटे 21 रकबा 1.218 हे0 माँ कलावती एजूकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष गंगा प्रसाद सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर अकृषिक है। अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

तहसीलदार गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या के परिप्रेक्ष्य में गंगा प्रसाद सिंह अध्यक्ष माँ कलावती एजूकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र में आराजियात को 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत उद्घोषण की याचना की गयी है आख्या के साथ धारा 143 की व्यवस्था संलग्न किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसील कार्यालय से निर्गत इन्तखाब के उपरोक्त आराजियात मौजा मुडवल परगना व तह0 व जिला गाजीपुर क्रमशः मौजा मुडवल के उक्त कुल गाटे 21 रकबा 1.218 पर माँ

क्रमशः–2 पर

कलावती एजूकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष गंगा प्रसाद सिंह पुत्र इन्द्रदेव सिंह निवासी गोराबाजार पीरनगर गाजीपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। यह इन्द्राज संस्था के नाम शिक्षण संस्थान हेतु अर्जित की गयी है। तहसीलदार गाजीपुर द्वारा अपनी आख्या द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात में कृषि कार्य न होना कहते हुए अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

अतः तहसीलदार गाजीपुर की आख्या के आधार पर मौजा मुडवल परगना व तह0 व जिला गाजीपुर में स्थित अ0सं0–301/0.0590हे0, 305/0.0370हे0, 306/0.0240हे0, 307/0.0240हे0, 308/0.0390हे0, 309/0.1860हे0, 310/0.0140हे0, 311/0.0850हे0, 296/0.0170हे0, 300/0.0330हे0, 302/0.0310हे0, 313/0.0630हे0, 314/0.0010हे0, 315/0.0180हे0, 312/0.0310हे0, 315/0.0160हे0, 317/0.076हे0, 315/.0630हे0, 129/1/0.0630हे0, 1283/0.253हे0, 771/0.085हे0, कुल गाटे 21 रकबा 1.218 हे0 को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत अकृषिक/शैक्षणिक कार्य हेतु घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेख संशोधन हेतु परवाना अमलदरामद जारी होवे। आवश्यकत अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांकः 14/10/2015

उप जिलाधिकारी,
सदर, गाजीपुर।

सत्यप्रतिलिपि
20/2/18
पेशकार
उपजिलाधिकारी
सदर गाजीपुर